



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५०) काठमाडौं, फागुन ४ गते २०५७ साल (अतिरिक्ताङ्क ५८ (ख))

## भाग ३

### श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०५७ साल माघ २७ गते पुनरावेदन अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री गोविंदकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगलाई सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी २०५७ साल पुष १३ गते काठमाडौंमा भएका घटनाका सम्बन्धमा पनि जाँचबुझ गरी आपनो राय ठहरासाथ प्रतिवेदन पेश गर्ने थप कार्य क्षेत्र तोकेको छ ।

आज्ञाले,  
श्रीकान्त रेखी  
श्री ५ को सरकारको सचिव

# कामिल निर्भा

संस्कृत लिपि द्वारा लिखा गया है।

(१) संस्कृत लिपि (२) अंग्रेजी लिपि (३) अंग्रेजी लिपि

प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा दिया गया उत्तर को अंग्रेजी में लिखा गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।  
प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।

प्रश्नाएँ द्वारा पूछी गई तथा उनके उत्तर दिया गया है।

आधिकारिकता मुद्रण विभाग १०८६ द्वारा प्रमाणित गरिए पछि मात्र लागु हुनेछ।

५३०१